

कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 792 /12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 06/09/2016 2016



सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
~~निर्माण~~ खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

विषय:- अल्मोड़ा-छाट मोटर मार्ग के किमी० 50 से कलौटा तक मोटर मार्ग
(एन०पी०वी० 13.00 किमी०)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2211/3 लो(व०भ०) दिनांक 5/09/2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अधीन पुनः डिमांड नोट जारी किया जाता है।

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु0 230302.00 प्रति है० की दर से 12,372 है० में रु0 28,49,296 = 00 (अठ्ठाईस लाख अण्चौव हजार दो सौ छिपानबे) मात्र जमा की जानी है।

2. एन०पी०वी० धनराशि रु0 58,08,936 = 00 (अठ्ठावन लाख आठ हजार नौ सौ छत्तीस) रुपये -

- मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

3. मार्ग के दोनो ओर खाली स्थानों पर वृक्षारोपण दस वर्षों के रख-रखाव के सहित रु0 धनराशि जमा की जानी है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

पत्रांक

दिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।